(2008) 1 एस.सी.आर. 547

मरीमुथु और अन्य

बनाम

तमिलनाडु राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 74/2008)

11 जनवरी, 2008

(सी.के. ठक्कर और अल्तमस कबीर, जे.जे.)

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 अन्तर्गत धारा 304 (भाग-I) और धारा 326- हत्या और गंभीर चोटें आईं- सात अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया-शिकायतकर्ता पक्ष और अभियोजन पक्ष के परस्पर शत्रुता के संबंध- विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्त को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषी ठहराया- उच्च न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए तीन अभियुक्तों को बरी किया और बाकी अभियुक्तों को दोषी ठहराया- एक अभियुक्त को इसके अतिरिक्त धारा 326 भारतीय दण्ड संता के तहत भी दोषी ठहराया गया- अपील पर अभिनिर्धारित किया गया- उच्च न्यायालय का आदेश न्यायसंगत मानते हुए मामले के तथ्यों के अनुसार संदेह का

लाभ जो दोषमुक्त अभियुक्त को दिया गया व दोषसिद्ध अभियुक्तों को नहीं दिया गया- तथापि धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्धि को धारा 304 (भाग-I) भारतीय दण्ड संहिता में परिवर्तित किया गया। दोषसिद्धि अन्तर्गत धारा 326 भारतीय दण्ड संहिता में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। एक व्यक्ति की हत्या का अपीलकर्ताओं के साथ तीन अन्य लोगों पर मुकदमा चला। अभियोजन पक्ष का मामला था कि परिवादी व अभियुक्त पक्ष के मध्य शत्रुता थी। घटना के दिन जब पी.डब्ल्यू-02 अपने घर के सामने खड़ा था, आरोपी नम्बर-01 ने उसके साथ दुव्यर्वहार किया। मृतक, पी.डब्ल्यू-02 अन्य परिवार के सदस्यों के साथ घटना की शिकायत करने पुलिस थाने गये। एक घण्टे बाद, जब शिकायतकर्ता पक्ष वापस आ रहा था, अभियुक्तगण ने मृतक पर व पी.डब्ल्यू-02 पर हमला किया। फलस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई व पी.डब्ल्यू-02 के चोटें आईं। पी.डब्ल्यू-02 के मृत्यु-कालिक बयान लिये गये, हालांकि उसके जीवित बचने के कारण उस बयान को खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा सभी सातों अभियुक्तगणों को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत् दोषसिद्ध किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण संख्या- 1, 2, 3 व 5 को अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया गया। अभियुक्त संख्या-1 को धारा 326 भारतीय दण्ड संहिता में भी दोषसिद्ध किया गया, परन्तु अभियुक्त संख्या-4, 6 व 7 को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त

घोषित किया गया। फलस्वरूप दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा यह अपील दायर की गई है।

आंशिक रूप से उक्त अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि -

1. जहां तक घटना की बात है, दोनों न्यायालयों ने अभियोजन पक्ष के मामले पर भरोसा किया है। मूल साक्ष्य से अभियोजन पक्ष के गवाहों ने स्पष्ट रूप से साबित किया है कि पक्षकारों के आपस में कटु संबंध थे। (पैरा संख्या-10) (552-एच, 553-ए)

2. चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार यह स्पष्ट रूप से साबित है कि मृतक के आठ चोटें आई थीं, जिससे सदमे और रक्त स्त्राव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार यह एक हत्या थी। यह भी स्पष्ट है कि पी.डब्ल्यू-02 घटना में घायल हुआ और वह पीड़ितों में से एक था, जिसे दौराने घटना चोटें आई थीं। (पैरा संख्या-11 व 12) (553-ई, एफ, 554-बी)

3. यह नहीं कहा जा सकता कि वह लाभ जो उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त संख्या- 4, 6 व 7 को दिया गया था, वह वर्तमान अपीलार्थियों को भी दिया जाना चाहिए था। यह ध्यान में रखा गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट व मृत्युकालिक बयान में विसंगति हैं, उच्च न्यायालय ने मृत्युकालिक बयान में अभियुक्त संख्या- 6 का नाम नहीं होने के कारण

उसे संदेह का लाभ दिया व अभियुक्त संख्या-4 व 7 को बाहरी व साधारण चोटें होने के कारण उन्हें भी संदेह का लाभ दिया गया, परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि अपीलार्थी घटना में शामिल नहीं थे या उनके द्वारा मृतक व पी.डब्ल्यू- 02 पर हमला नहीं किया गया हो। (पैरा संख्या-12) (554-बी, सी, डी)

4. हालांकि, जब अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि सभी सातों अभियुक्त्गण ने मृतक पर अंधाधुंध हमला किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उच्च न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ देकर तीन अभियुक्तगण (अभियुक्त संख्या-4, 6 व 7) को दोषमुक्त किया गया। ऐसे में सही होगा कि अपीलार्थियों को हत्या के आरोप अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किये जाने के बजाय हत्या की कोटि में नहीं आने वाले आपराधिक मानव वध अन्तर्गत धारा 304 (भाग-I) भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया जाए। (पैरा संख्या-13) (554-ई,एफ,जी)

5. अपीलार्थी संख्या- 1 के धारा 326 भारतीय दण्ड संहिता के दोषसिद्धि व सजा को यथावत् रखा गया, जिसके द्वारा पी.डब्ल्यू- 02 को गंभीर चोटें कारित की गईं। जुर्माने के आदेश में भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। (पैरा संख्या-13) (555 ए)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 74/2008

मद्रास उच्च न्यायालय के मदुराई बैंच द्वारा आपराधिक अपील संख्या 33/1998 में दिये गए अंतिम आदेश व निर्णय दिनांकित 21.08.2006 से

अपीलार्थियों के लिए यू.यू. ललित, पी.आर. कोविलन पूंगकुंतरन, वी. वासुदेवन, नितिन सांगरा एवं नरेश कुमार।

प्रत्यर्थियों के लिए वी. कनकराज, एस. जोसेफ एरिस्टोटल, एस. प्रभू रामसुब्रामन्यन एवं वी.जी. प्रगसम।

न्यायालय का निर्णय सी.के. ठक्कर, जे. द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. वर्तमान अपील मद्रास उच्च न्यायालय (मदुराई पीठ) द्वारा 21 अगस्त, 2006 को आपराधिक अपील संख्या 33 और 36/1998 में पारित फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें उनके द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-सह-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिरुचिरापल्ली द्वारा 8 दिसंबर 1997 को सत्र प्रकरण संख्या 8/1997 में दिये गए दोषसिद्धि और सजा के आदेश की आंशिक रूप से पुष्टि की गई थी।

3. मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:

4. सात आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 307, 326 और 341 सपठित धारा 148 और 149 के तहत दंडनीय विभिन्न अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि सभी आरोपी और मृतक पेइयाकरुप्पन उर्फ चिन्नादुरई एक ही गांव संथापुरम के थे। घटना से दो साल पहले, मृतक चिन्नादुरई ने एक आपराधिक मामले में वीरबथरान-आरोपी संख्या 2 के खिलाफ और मरुथईराज- पीडब्ल्यू 2 के पक्ष में न्यायालय में गवाही दी थी। जल विवाद के सिलसिले में एक सिविल केस था और उस सिविल वाद में भी मृतक ने आरोपी पक्ष के खिलाफ गवाही दी थी। कृषि भूमि की सिंचाई के संबंध में भी पक्षकारान् के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध थे। 27 मई, 1995 को लगभग 3.30 बजे पीडब्लू 2-मरुथईराज-शिकायतकर्ता अपने घर के सामने खड़ा था और उस समय, मरीमुथु- आरोपी संख्या 1 शिकायतकर्ता के पास गया और उसे गंदी भाषा में गाली दी। मृतक चिन्नादुरई, उसके पिता पीडब्ल्यू 2-मरुथईराज, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, सोमरसम्पेट पुलिस स्टेशन गए और उक्त घटना के संबंध में शिकायत दर्ज कराई। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, उसी दिन शाम लगभग 4.30 बजे तिरुचि-वायलूर रोड, अंबेडकर कॉलोनी जंक्शन के पास, सभी सात आरोपियों ने मृतक चिन्नादुरई की हत्या करने के सामान्य उद्देश्य से, उस पर अरुवल, बिछुवा, चाकू और अन्य घातक हथियारों से हमला किया। उस हमले में चिन्नादुरई

की कई चोटों के कारण तुरंत मृत्यु हो गई। आरोपी ने शिकायतकर्ता मरुथईराज-पीडब्लू 2 को भी चोटें पहुंचाईं। 27 मई, 1995 को अपराध संख्या 229/1995 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। सामान्य जांच के बाद, आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप विरचित किया गया और मामला सत्र न्यायालय को कमिट कर दिया गया।

5. विचारण न्यायालय ने 8 दिसंबर, 1997 के एक फैसले और आदेश द्वारा, आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराया और उन्हें फैसले के ऑपरेटिव भाग में उल्लिखित विभिन्न सजाएँ भुगतने का आदेश दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर सभी अभियुक्तों ने अपील दायर की। उच्च न्यायालय द्वारा अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था। अभियुक्त संख्या 4, 6 और 7 को उच्च न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, जबकि अभियुक्त संख्या 1, 2, 3 व 5 अपीलकर्ताओं को चिन्नादुरई की मौत के लिए आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। आरोपी संख्या 1 को आइ.पी.सी. की धारा 326 के तहत दंडनीय अपराध में पी डब्ल्यू 2-मरुथईराज को गंभीर चोट पहुँचाने के लिए भी दोषी ठहराया गया था। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष आए हैं।

6. नोटिस 25 जनवरी 2007 को जारी किया गया था। कार्यालय को मामले को अंतिम निपटान के लिए रखने का निर्देश दिया गया था और तदनुसार, मामला हमारे समक्ष रखा गया है।

7. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब तीन आरोपियों (अभियुक्त संख्या 4, 6 और 7) को उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया, तो उन्होंने शेष आरोपियों को दोषी ठहराने में कानूनी त्रुटि की है। उच्च न्यायालय को इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए था कि जब न्यायालय ने पाया कि अभियोजन तथ्य सही और पूर्ण नहीं थे और कहानी के एक हिस्से पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इससे घटना की उत्पत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे में सभी अभियुक्तगण को बरी कर दिया जाना चाहिए था। यह तर्क दिया गया कि पी डब्ल्यू 2- मरुथईराज के तथाकथित मृत्युकालिक कथन को उचित रूप से मृत्युकालिक कथन नहीं माना गया क्योंकि वह जीवित था। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि उसमें कुछ नाम जोड़ने की मांग की गई थी। इस आधार पर उच्च न्यायालय ने तीन आरोपियों को संदेह का लाभ दिया। लेकिन उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराना गलत है। यह भी

तर्क दिया गया कि जिन्हें उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया, को चोटें लगीं थीं। उक्त तथ्य से यह भी पता चलता है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा तथ्य को छुपाया गया था और अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए उनके साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था। उस परिस्थिति ने बचाव पक्ष के कथन का समर्थन किया कि भले ही घटना हुई हो, अभियुक्त ने आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया था। अंत में, यह तर्क दिया गया कि किसी भी मामले में जब तीन आरोपियों को उच्च न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था, अभियोजन पक्ष के मामले पर विचार करते हुए कि सभी सात आरोपियों ने मृतक चिन्नादुरई पर अंधाधुंध हमला किया और उसकी हत्या कर दी, उच्च न्यायालय अपीलकर्ताओं को दोषी नहीं ठहरा सकता था। आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, उच्च न्यायालय उन्हें आईपीसी की धारा 304 के तहत दोषी ठहरा सकता था। इसलिए, यह निवेदन किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि और सजा के आदेश को अपास्त करके और/या संशोधित करके अपील स्वीकार की जानी चाहिए।

9. दूसरी ओर, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश का समर्थन किया। उन्होंने आग्रह किया कि विचारण न्यायालय सभी आरोपियों को विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराने में पूरी तरह से सही था। यह निस्संदेह सच

है कि उच्च न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और तीन आरोपियों को संदेह का लाभ दिया। यह इस तथ्य के कारण था कि पीडब्ल्यू 2 मरुथईराज के तथाकथित मृत्युपूर्व बयान को मृत्युकालिक बयान के रूप में नहीं माना जा सकता था क्योंकि वह जीवित था और दर्ज की गई एफआईआर और मरुथईराज के मृत्युपूर्व बयान में कुछ विसंगति थी। ऐसी विसंगति को ध्यान में रखते हुए और आरोपी संख्या 6 का नाम हटा दिए जाने पर उसे बरी कर दिया गया। इसी तरह, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आरोपी संख्या 4 और 7 घायल हो गए, उच्च न्यायालय ने उन्हें भी संदेह का लाभ देना उचित समझा। लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि शिकायतकर्ता पक्ष के खिलाफ आरोपी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 230/1995 के रूप में दायर क्रॉस केस को 'तथ्य की गलती' के रूप में निपटाया गया था। इसके अलावा, यह साबित नहीं किया गया कि एक ही घटना के दौरान आरोपी संख्या 4 और 7 को चोटें लगी थीं। उनको साबित नहीं किया गया। न ही उन आरोपियों द्वारा कोई शिकायत की गई जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज करने में गलती की थी। अपीलकर्ताओं की चोटों, चिकित्सा साक्ष्य और पीडब्लू 2- मरुथईराज- शिकायतकर्ता, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था, सहित अन्य गवाहों

पीडब्लू6- अन्नामलाई और पीडब्लू7- मनोहरन के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और उच्च न्यायालय के इस तरह के दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं मानी जा सकती। इसलिए यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं द्वारा कोई मामला नहीं बनाया गया है और अपील खारिज करने योग्य है।

10. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमारी राय में, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जानी चाहिए। जहां तक घटना का सवाल है, दोनों न्यायालयों ने अभियोजन पक्ष की बात पर विश्वास किया है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के ठोस सबूतों से यह स्पष्ट रूप से साबित हुआ कि दोनों पक्षों में शत्रुता थी। घटना से दो साल पहले, आरोपी के खिलाफ एक आपराधिक मामला था और उक्त मामले में, चिन्नादुरई आरोपी के खिलाफ अभियोजन पक्ष के गवाहों में से एक था। और भी विवाद थे और मृतक चिन्नादुरई अभियोजन पक्ष का पक्ष ले रहे थे और आरोपी पक्ष के खिलाफ थे। यह साक्ष्य में भी आया है और दोनों न्यायालयों ने माना है कि 27 मई, 1995 को दो घटनाएँ हुईं। पहली घटना करीब साढ़े तीन बजे की है जब पीडब्ल्यू 2- मरुथईराज अपने घर के सामने खड़ा था और आरोपी संख्या 1 ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए, पीडब्ल्यू 2- मरुथईराज और मृतक चिन्नादुरई पुलिस स्टेशन गए और उक्त आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसलिए,

मृतक और शिकायतकर्ता पक्ष के कृत्य में कुछ भी अवैध नहीं था। हालांकि आरोपी पक्ष काफी गुस्से में था। आरोपी एकत्रित होकर थाने से शिकायतकर्ता पक्ष के आने का इंतजार करने लगे। वे सभी घातक हथियारों से लैस थे और मृतक चिन्नादुरई और पीडब्ल्यू 2- मरुथईराज को सबक सिखाना चाहते थे। शिकायतकर्ता पक्ष के पास कोई हथियार नहीं था, वे निहत्थे थे। आरोपी व्यक्तियों ने मृतक चिन्नादुरई और पीडब्ल्यू 2- मरुथईराज पर अंधाधुंध हमला किया।

11. जहां तक चिकित्सकीय साक्ष्य का सवाल है, यह स्पष्ट रूप से साबित किया गया है कि मृतक चिन्नादुरई को आठ चोटें लगीं और उसकी मृत्यु सदमे और चोटों के कारण हुए रक्तस्राव के कारण हुई। इस प्रकार यह हत्या थी।

पीडब्ल्यू 5- थिरुगननम (डॉक्टर) ने अपने ठोस साक्ष्य में कहा कि 27 मई, 1995 को, जब वह सरकारी अस्पताल, तिरुचिरापल्ली में डॉक्टर के रूप में ड्यूटी पर थे, शाम लगभग 6.30 बजे, पीडब्ल्यू 2- मरुथईराज को उनकी बहन सरोजा द्वारा लाया गया था, जिन्हें निम्नलिखित चोटें आयीं थीं:

1. दाएं माथे के नीचे की हड्डी में 8 इंच लंबाई तक कटा हुआ घाव।

2. दाहिनी स्कैपुला को काटता हुआ 4 इंच लम्बाई का कटा हुआ घाव।

3. बायीं बांह पर 2 इंच त्वचा पर गहरा कटा हुआ घाव।

12. इस प्रकार, यह भी स्पष्ट है कि पीडब्ल्यू 2- मरुथईराज घटना में घायल हो गया था और वह उन पीड़ितों में से एक था, जिन्हें घटना के दौरान चोटें लगी थीं। दोनों न्यायालयों ने, अभियोजन पक्ष के गवाहों और विशेष रूप से पीडब्ल्यू 2- मरुथईराज, जो घायल गवाह था और इसीलिए पीड़ित था, के साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया। प्रथम सूचना रिपोर्ट और पीडब्ल्यू 2- मरुथईराज के तथाकथित मृत्युकालिक कथन में विसंगति को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने मृत्युकालिक कथन में उसका नाम न होने के साथ-साथ अभियुक्त संख्या- 4 व 7 को सतही और छोटी चोटें होने के कारण आरोपी नंबर 6 को संदेह का लाभ दिया। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अपीलकर्ता घटना में शामिल नहीं थे या उन्होंने मृतक चिन्नादुरई या पीडब्ल्यू 2- मरुथईराज पर हमला नहीं किया था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि जो लाभ उच्च न्यायालय ने अभियुक्त संख्या 4, 6 और 7 को दिया था वह लाभ वर्तमान अपीलकर्ताओं को भी दिया जाना चाहिए। इसलिए, हम

अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को बरकरार नहीं रख सकते कि अपीलकर्ता भी संदेह के लाभ के हकदार हैं।

13. लेकिन अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता यह तर्क देने में सही हैं कि जब अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि सभी सात आरोपियों ने मृतक चिन्नादुरई पर अंधाधुंध हमला किया और जो उसकी मृत्यु का कारण बना और जब उच्च न्यायालय ने उनमें से तीन अभियुक्तों (अभियुक्त संख्या 4, 6 और 7) को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया यह उचित होगा यदि यहां अपीलकर्ताओं (अभियुक्त संख्या 1, 2, 3 और 5) को धारा 302, आईपीसी के तहत दंडनीय हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराने के बजाय, उन्हें आईपीसी की धारा 304, भाग I के तहत गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता। उस सीमित सीमा तक, आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए उनकी सजा को 304, भाग I, आईपीसी में परिवर्तित करके अपील की अनुमति दी जानी चाहिए। यहां अपीलकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा भुगतने का आदेश देने के बजाय, हम उन्हें दस साल की अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतने का निर्देश देते हैं। पीडब्लू 2- मरुथईराज को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए आई.पी.सी. की धारा 326 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता संख्या 1 पर लगाई गई दोषसिद्धि और सजा के बारे में शेष आदेश और जुर्माने के भुगतान में भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

14. तद्नुसार ऊपर बताई गई सीमा तक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

के.के.टी.

अपील को आंशिक अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी कामाक्षी मीना, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण**: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।